न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– अमीलाल यादव, आर.ए.एस.

वाद संख्या :– 69/2023

कौशल्या पत्नि तारानाथ जाति सिद्व निवासी उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू

वादीनी

बनाम

1. रूपा पत्नि लिछमणराम जाति जाट निवासी कातर छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू
2. भंवरलाल पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी कातर छोटी तहसील बीदासर जिलाचूरू
3. मुनीराम पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी कातर छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू
4. कमा उर्फ कमला पत्नि रामकुमार जाति जाट निवासी कातर छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू
5. रामरख पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी कातर छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू
6. हरिराम पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी कातर छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू
7. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

दावा विभाजन, चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ति बाबत।

उपस्थित :–
मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते वादीनी

–: निर्णय :–

दिनांक:– 12-12-2024

वादपत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादीनी एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 6 छः के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का खेत खसरा संख्या 442/316 चार सो बियालीस बट्टा तीन सो सौलह तादादी 0.2529 जीरो दशमलव दो पांच दो नो हेक्टेयर वाके रोही ग्राम कातर छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है जिसमें वादीनी का 77/2528 सतहतर बट्टा दौ हजार पांच सौ अठाईस हिस्सा है जो खेत के बीच में हिस्सा पांति में आया हुआ है। जिसे आगे वादगत भूमि कहा गया है। वादगत भूमि का मौके पर वादीनी व प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 6 छः की हिस्सा भूमि का मौखिक विभाजन किया हुआ है। मौखिक विभाजन के मुताबिक वादीनी एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 6 छः अपने-अपने हिस्से की भूमि को काश्त करते आ रहे है। वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

एक ता 6 छः का खान–पान, रहन–सहन अलग–अलग है। वादगत खेत की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से अंकित होने के कारण वादीनी को सरकारी लाभांश प्राप्त करने में भारी परेशानी उठानी पड रही है। इसलिए वादीनी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने हिस्से की खातेदारी भूमि राजस्व रेकार्ड में पृथक अंकित करवाकर लगान का विभाजन कराये। जिसके लिए वादीनी को कानूनी अधिकार प्राप्त है। वादीनी ने दिनांक 25.11.2023 को प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 6 छः से मौखिक रूप से निवेदन किया कि वादगत खेत का विधिवत विभाजन करवाकर अपने–अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पृथक–पृथक राजस्व रेकार्ड में अंकित कराये। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 6 छः साफ इनकार हो गये तथा प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 6 छः ने वादीनी को ऐलानीयां तोर पर धमकियां दी कि वोह अच्छी किश्म की भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करके वादीनी को बेदखल करेगें तथा किसी भूमाफियों को विक्रय करके अच्छी किश्म की भूमि का कब्जा करवाकर ही रहेगें, जबकि ऐसा करने का प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 6 छः को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 6 छः अपने गैरकानूनी कृत्य में सफल हो गये तो वादीनी को न केवल अपूर्तिय क्षति होगी बल्कि भयंकर असुविधा भी होगी। इसलिए वादीनी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा की डिकी प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 6 छः को वर्जित कराये कि वोह वादीनी को अपनी हिस्सा भूमि से जबरन बलपूर्वक कब्जा करके बेदखल नहीं करें और जब तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो जाता तब तक किसी हिस्से या अंश को विक्रय हस्तांतरण रहन आदि नहीं करें ओर ना ही वादीनी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधायें रूकावटें आदि पैदा करें या किसी अन्य से करवायें। वादगत खेत वादीनी के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का होने से वादीनी को वादाधार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 6 छः की ऐलानियां धमकियां से वादीनी को वाद हेतुक प्राप्त है। राज्य सरकार भू धारक है जो वाद में आवश्यक पक्षकार है। कानूनी आपतियों को मध्य नजर रखते हुए राजस्थान सरकार को वाद में प्रतिवादी संख्या 7 सात के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है। वाद वादीनी संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन एंव चिर निषेधाज्ञा डिकी प्राप्ति का है। वादगत खेत रोही ग्राम कातर छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है इसलिए इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। वाद

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

वादीनी निर्धारित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। आदि–आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 बावजुद तामिल अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वाद में पेरोकार राज ने राजहित नहीं होना अंकित किया है। वादी वकील की बहस सुनी गई। वादी वकील ने दौराने बहस दावे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद को डिक्री करने का निवेदन किया।

वादी वकील की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जो अभिवचन वादीनी द्धारा वाद में किए गए है उसका विरोध इस न्यायालय में किसी भी व्यक्ति द्धारा नहीं किया गया है। इस कारण इस वाद में तनकीयात कायम नहीं की गई। वादीनी कब्जा काश्त के आधार पर वादगत भूमि में अपनी हिस्सा भूमि का विभाजन करवाना चाहती है जो न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

अतः वादीनी का वाद विभाजन का स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री इस प्रकार जारी की जाती है कि वादगत भूमि रोही ग्राम कातर छोटी खसरा संख्या 442/316 तादादी 0.2529 हेक्टेयर वादीनी की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें वादीनी की 77/2528 हिस्सा भूमि है। तहसीलदार बीदासर से केवल वादीनी की 77/2528 हिस्सा भूमि का कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। इस हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 12-12-2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

प्रारम्भिक डिकी ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दीवानी)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी बीदासर व इजलास अमीलाल यादव, आर.ए.एस.
कौशल्या बनाम रूपादेवी आदि
दावा विभाजन, चिर निषेधाज्ञा की डिकी प्राप्ति बाबत।

मुकदमा न.:– 69/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु........हाजरी श्री मनोज गोदारा वकील वास्ते वादी मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व प्रारम्भिक डिकी दी जाती है कि वादगत भूमि रोही ग्राम कातर छोटी खसरा संख्या 442/316 तादादी 0.2529 हेक्टेयर वादीनी की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें वादीनी की 77/2528 हिस्सा भूमि है। तहसीलदार बीदासर से केवल वादीनी की 77/2528 हिस्सा भूमि का कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

चीज.........—.........मुबलिग.............—.............बाबत.............—.............खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह..........—..........
फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक...........................—...........................को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.....12-12-2024.

मुहर

दस्तखत ....
उपखण्ड अधिकारी
ओहदा बीदासर (चूरू)

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये ।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)